International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 02-05-2025, Accepted: 01-06-2025, Published: 17-06-2025
Volume 11, Issue 3, 2025, Page No. 92-95

संविधान के अमृतकाल में युवाशक्ति का संकल्प: राष्ट्र सर्वोपरि, लोकतंत्र सर्वोच्च

Dr. Prateek Mali
Department of Education Languages Centre for Multi Disciplinary Development Research, Dharwad, Karnataka, India

सारांश
भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि राष्ट्र के नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की दिशा तय करने वाला एक जीवंत मार्गदर्शक है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्यों को समाज में स्थापित करने का आधार प्रस्तुत करता है। विशेषकर युवाओं की भूमिका संविधान की भावना को जीवित रखने और उसे व्यवहार में उतारने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान को केवल अध्ययन या परीक्षा की वस्तु न मानते हुए, उसे जीवन की पद्धति के रूप में अपनाना समय की आवश्यकता है। प्रस्तावना में वर्णित मूल्यों, विविधता में एकता, तथा नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता से ही राष्ट्र का सतत विकास और पुनर्निर्माण संभव है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् जैसे संगठनों द्वारा युवाओं को संविधान के मूलभूत आदर्शों से जोड़ने के प्रयास सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरक सिद्ध हुए हैं। यह लेख भारतीय संविधान की प्रकृति, उद्देश्य, और विशेष रूप से युवाओं की भूमिका को केंद्र में रखकर विचार प्रस्तुत करता है।
"संविधान: केवल नियमों का दस्तावेज़ नहीं, एक जीवन पद्धति है।"

मूलशब्द: भारतीय संविधान, प्रस्तावना, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, युवा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, SEIL राष्ट्रीय एकता, आरक्षण, राष्ट्र निर्माण

संविधान' शब्द का अंग्रेज़ी रूप 'Constitution' है, जिसकी मूल धातु 'Constitute' है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है – रचना करना, गठन करना। यह केवल एक शाब्दिक विश्लेषण नहीं, बल्कि संविधान की प्रकृति और उसके उद्देश्य को समझने की एक गहरी दृष्टि प्रदान करता है। संविधान किसी राष्ट्र की मौलिक संरचना की नींव रखता है। यह केवल कानूनों, नियमों, और निर्देशों का संकलन नहीं होता, बल्कि यह उस संपूर्ण व्यवस्था की रूपरेखा है जिसके आधार पर कोई समाज और राष्ट्र कार्य करता है।

जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो हमें इसे केवल एक कानूनी दस्तावेज़ मानकर नहीं देखना चाहिए। यह हमारे राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों, उद्देश्यों और मूल्यों की अभिव्यक्ति है। यह केवल यह नहीं बताता कि सरकार कैसे चलेगी या नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, बल्कि यह एक नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों, नैतिकताओं और आचरण के आदर्शों को भी रेखांकित करता है। इसलिए यह कहना पूरी तरह उपयुक्त है कि संविधान केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। यह पद्धति हमें सिखाती है कि एक संगठित समाज में हम किस प्रकार समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे मूल्यों के साथ जीवन जी सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान को 'राष्ट्रधर्म का लिखित रूप' कहा गया है। जैसे धर्म किसी व्यक्ति के जीवन को नैतिकता और संयम से जोड़ता है, वैसे ही संविधान पूरे राष्ट्र के लिए आचरण का मानदंड स्थापित करता है।

आज के समय में जब लोकतंत्र के मूल्य अनेक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तब संविधान का पालन करना और उसकी आत्मा को समझना हम सभी का नैतिक कर्तव्य बन जाता है। यह केवल सरकार या न्यायपालिका का उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह संविधान में निहित उद्देश्यों को समझे, उन्हें अपने व्यवहार में उतारे और समाज को बेहतर दिशा में ले जाए। इसलिए, संविधान का पालन करना एक संवैधानिक आवश्यकता के साथ–साथ एक नैतिक और सामाजिक दायित्व भी है। यदि हम इसे केवल एक सरकारी दस्तावेज़ मानकर उसकी उपेक्षा करते हैं, तो यह लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा होगा। लेकिन यदि हम इसे एक जीवन शैली मानते हुए आत्मसात करें, तो यही संविधान हमें एक सशक्त, न्यायपूर्ण और समरस भारत के निर्माण की दिशा में ले जाएगा।

आज जब हम भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान परिदृश्य की ओर – ष्टि डालते हैं, तो एक वाक्य प्रायः सुनने को मिलता है – 'संविधान बचाओ'। यह वाक्य एक आंदोलन, एक चेतावनी और एक आह्वान के रूप में देश के कोने–कोने में गूंज रहा है। लेकिन यदि हम इस बात का गहराई से विश्लेषण करें, तो यह समझ आता है कि संविधान कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जिसे बचाया जाए; बल्कि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग, हमारी चेतना का आधार और हमारे नागरिक धर्म का स्वरूप बन चुका है।

भारतीय संविधान केवल एक काग़ज़ी किताब नहीं, बल्कि यह हमारी पहचान है। यह हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, हमारे कर्तव्यों को रेखांकित करता है, और हमें एक समतामूलक समाज की ओर अग्रसर करता है। ऐसे में यह कहना कि संविधान को 'बचाने' की ज़रूरत है, कहीं न कहीं इस बात को नकारना है कि यह जनता की चेतना का हिस्सा बन चुका है।वास्तविकता यह है कि संविधान को बचाने की नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है।

आज जो सबसे बड़ा संकट है, वह संविधान पर हमलों से अधिक उसके उद्देश्यों की उपेक्षा का है। यदि संविधान कहता है कि सभी नागरिक समान हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक जीवन में समानता की भावना भी व्यावहारिक रूप से परिलक्षित हो। यदि संविधान स्वतंत्रता और न्याय की बात करता है, तो हमें यह देखना होगा कि क्या इन आदर्शों को हर नागरिक अनुभव कर पा रहा है। इस संदर्भ में देश के युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की पीढ़ी को केवल संविधान पढ़ने और परीक्षा की दृष्टि से याद करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें संविधान के मूल उद्देश्यों को समझकर स्वयं के जीवन में लागू करना होगा। युवाओं को यह समझना चाहिए कि जब वे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करते हैं, तब वे संविधान की आत्मा की रक्षा कर रहे होते हैं। संविधान को आचरण में लाना ही उसका असली संरक्षण

है। कानूनी लड़ाइयों और नारेबाज़ियों से अधिक प्रभावी है – संवैधानिक मूल्यों की व्यावहारिकता। जब हम अपने घरों, विद्यालयों, कार्यस्थलों और समाज में संविधान के आदर्शों को अपनाते हैं, तब ही वह जीवंत रहता है। संविधान को जीवंत बनाए रखना ही उसकी रक्षा करना है।

आज की परिस्थितियों में हमें संविधान को केवल 'बचाने' की नहीं, बल्कि जीने की आवश्यकता है। विशेष रूप से युवाओं को संविधान के आदर्शों को आत्मसात कर समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता की भावना को सशक्त करना होगा। यही संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा होगी और यही राष्ट्र निर्माण की दिशा में सबसे प्रभावी कदम होगा। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज़ है जो केवल शासन की संरचना तय नहीं करता, बल्कि एक न्यायसंगत, समतामूलक और लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना करता है। परंतु दुर्भाग्यवश, आज समाज के एक वर्ग में यह धारणा घर कर गई है कि संविधान केवल 'आरक्षण' का दस्तावेज़ है, और वह भी 'उच्च वर्ग' के विरुद्ध खड़ा किया गया एक तटबंध। यह दृष्टिकोण न केवल संविधान की आत्मा को ठेस पहुँचाता है, बल्कि समाज में अनावश्यक तनाव और असंतुलन भी उत्पन्न करता है। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं, बल्कि वंचित, शोषित और ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए की गई एक सकारात्मक पहल है। यह सकारात्मक भेदभाव (positive discrimination) की नीति है, जिसका उद्देश्य अवसर की समानता सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था उस असमानता को पाटने का प्रयास है, जो सदियों के सामाजिक ढाँचे ने उत्पन्न की है। दुर्भाग्यवश, आरक्षण को लेकर समाज में अनेक पूर्वग्रह फैले हुए हैं। विशेषकर कुछ युवा वर्गों में यह सोच गहरी होती जा रही है कि संविधान ने आरक्षण के माध्यम से उनके अधिकारों को सीमित किया है। इस सोच से बाहर आने के लिए सबसे आवश्यक कदम है – भारतीय संविधान का गंभीर और वस्तुनिष्ठ अध्ययन।

युवाओं को यह समझना होगा कि संविधान केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, और न्याय जैसे मूल्य केंद्र में हैं। यदि संविधान केवल आरक्षण तक सीमित होता, तो उसमें मौलिक अधिकारों, मूल कर्तव्यों, संघीय ढाँचे, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र जैसे सिद्धांतों को स्थान ही नहीं मिलता। भारत के संविधान निर्माण में भी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान सभा में कई सदस्य युवा थे जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि, ऊर्जा और प्रतिबद्धता के बल पर संविधान को जन–जन का दस्तावेज़ बनाया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब–जब संविधान को खतरा हुआ है – जैसे कि आपातकाल के समय – तब युवाओं ने ही आगे आकर इसकी रक्षा की है। आज के युग में युवाओं को चाहिए कि वे संविधान को केवल एक पाठ्य पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन मार्गदर्शिका के रूप में देखें। उन्हें इसके प्रावधानों, उद्देश्यों और विकासशील प्रकृति को समझना चाहिए। संविधान में समय–समय पर हुए संशोधन, विशेष परिस्थितियों में लागू किए गए प्रावधान, और न्यायपालिका की व्याख्याएँ – ये सभी चीजें मिलकर इसे एक जीवंत दस्तावेज़ बनाते हैं।

इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि आज का युवा वर्ग संविधान के प्रति अपनी समझ को व्यापक बनाए, पूर्वग्रहों से ऊपर उठे, और यह स्वीकार करे कि संविधान किसी वर्ग के विरोध में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए बना है। जब यह समझ विकसित होगी, तब ही हम एक सशक्त, समान और संवेदनशील भारत की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि यह राष्ट्र के आदर्शों, लक्ष्यों और मूल्यों का सार है। यह प्रस्तावना इस बात का प्रतीक है कि भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता केवल शासकीय ढांचे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह जनमानस के सामूहिक संकल्प और सहभागिता पर आधारित है। विशेष रूप से, इसमें युवाओं की भूमिका का जो सूक्ष्म संकेत है, वह हमारे भविष्य की दिशा को दर्शाता है।

"हम भारत के लोग": युवाओं का आह्वान

"हम भारत के लोग..." – न केवल एक वैधानिक उद्घोषणा है, बल्कि यह हर भारतीय नागरिक के, विशेषकर युवाओं के, संकल्प, भागीदारी और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। 'हम' शब्द में छिपा है एकता का भाव, साझेदारी का संकेत और कर्तव्य का आह्वान। यह केवल वयस्कों या शासकों की आवाज नहीं है, बल्कि इसमें हर उस युवा की भी आवाज शामिल है जो देश की बुनियाद को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है।

संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्शों को केवल कानूनी दस्तावेज़ में सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। इन्हें व्यवहार में उतारना और जीवन में चरितार्थ करना विशेषतः युवाओं की ज़िम्मेदारी है। युवा शक्ति समाज की सबसे जागरूक, ऊर्जावान और नवाचारी शक्ति होती है, जो संविधान की आत्मा को यथार्थ में बदल सकती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद: एक प्रेरक उदाहरण है । इन्हीं मूल्यों को आधार बनाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ABVP) पिछले 75 वर्षों से देशभर में युवाओं के बीच काम कर रही है। इस परिषद् ने कभी किसी राजनीतिक पार्टी की नीति का अनुसरण नहीं किया, बल्कि राष्ट्रनीति को ही अपने कार्य का मूल बनाया। उसने देश के छात्र और युवा समुदाय को केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है।

ABVP ने यह जागरूकता उत्पन्न की कि चाहे हम विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों से क्यों न आते हों, अंततः हम सभी भारतीय हैं। इस 'हम' की भावना को गहराई से आत्मसात करना ही संविधान की आत्मा को जीना है। परिषद् ने अपने विभिन्न राष्ट्रीय प्रकल्पों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि युवा ही वह शक्ति हैं जो संविधान के आदर्शों को जीवंत रूप में समाज में उतार सकते हैं, संविधान केवल किताबों में पढ़ने या परीक्षा के लिए रटने की वस्तु नहीं है। यह हमारे जीवन की दिशा तय करने वाली संहिता है। युवाओं को चाहिए कि वे प्रस्तावना के हर शब्द को समझें, उसमें निहित संदेश को आत्मसात करें और उसे अपने आचरण में उतारें। जब युवा संविधान के उद्देश्यों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, तभी भारत एक सशक्त, समरस और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। यहां की भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक विविधता जितनी समृद्ध है, उतनी ही जटिलताएँ भी उत्पन्न करती है। विशेषकर भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जो अपनी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विशिष्टता और भाषिक भिन्नताओं के कारण देश के शेष हिस्सों से प्रायः दूर और अलग–थलग अनुभव करते हैं, वहां की जनता में कई बार यह भावना जन्म लेती है कि वे राष्ट्रीय मुख्यधारा से कटे हुए हैं। भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों में भौगोलिक दूरी के साथ–साथ मानसिक दूरी, परस्पर अपरिचय, सांस्कृतिक अनभिज्ञता और भाषाई अवरोध जैसे कई कारणों से एक ऐसी मानसिकता बन रही थी, जो राष्ट्रीय एकता की भावना से विरोधाभास रखती थी। देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग अक्सर पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों को अलग और अनजाना समझते थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वहाँ के युवाओं में यह भावना विकसित होने लगी कि वे 'भारत का हिस्सा होकर भी, भारत से अलग हैं।'

इस चुनौती को समझते हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ABVP) ने वर्ष 1966 में एक अभिनव और दूरदर्शी योजना की शुरुआत की, जिसका नाम था – SEIL (Students Experience in

Interstate Living)। इस योजना का मूल उद्देश्य था – देशभर के छात्रों को विभिन्न राज्यों में भेजकर उन्हें एक–दूसरे की संस्कृति, जीवनशैली, सोच और परंपराओं को करीब से जानने का अवसर देना।

SEIL परियोजना के माध्यम से पूर्वोत्तर के छात्र भारत के अन्य हिस्सों में और अन्य हिस्सों के छात्र पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ सप्ताह के लिए रहते हैं, वहाँ के लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनके घरों में रहकर स्थानीय जीवनशैली को समझते हैं, स्कूलों–कॉलेजों में संवाद करते हैं और स्थानीय त्योहारों में भाग लेते हैं। इससे सीधे अनुभव के माध्यम से सांस्कृतिक समरसता का सृजन होता है। SEIL ने यह संदेश दिया कि 'अलग–अलग दिखते हैं, बोलते हैं, रहते हैं – लेकिन अंततः हम सभी भारतीय हैं।' यह मात्र एक योजना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय भावनात्मक एकता का सशक्त आंदोलन बन गया। SEIL परियोजना ने यह प्रमाणित किया कि सांस्कृतिक संपर्क और परस्पर संवाद ही मानसिक दूरियों को पाटने का सर्वोत्तम माध्यम हैं। इस परियोजना ने युवाओं को केवल एक–दूसरे से नहीं, बल्कि भारत माता के व्यापक स्वरूप से जोड़ा। यह पहल आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है कि वे देश की विविधता को स्वीकार करें, समझें और उसमें एकता की भावना जागृत करें। यह कार्य मात्र एक औपचारिक या प्रतीकात्मक प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक समर्पित राष्ट्रसेवा का भाव है जो युवाओं को संविधान के मूल उद्देश्यों से जोड़ने में सशक्त भूमिका निभाता है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना मात्र औपचारिक उद्घोषणा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का दर्पण है। यह न केवल हमारे देश की शासन व्यवस्था की दिशा और दशा निर्धारित करती है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय जीवन मूल्यों, आदर्शों और संकल्पों का घोषवाक्य भी है। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द "हम भारत के लोग" यह स्पष्ट करते हैं कि संप्रभुता अर्थात् सर्वोच्च सत्ता केवल किसी शासकीय निकाय या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की जनता में निहित है। सर्वभौमिकता का तात्पर्य केवल बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करना नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से उस एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना भी है, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अनेक बार ऐसे क्षण देखे हैं जहाँ राष्ट्र की एकता को विभाजित करने के प्रयास हुए—कभी जातीय या धार्मिक उन्माद के नाम पर, तो कभी क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर। इन सब घटनाओं ने संविधान की मूल भावना को ठेस पहुँचाई।

ऐसे संकटों की घड़ी में केवल सरकार या प्रशासन ही नहीं, बल्कि हर नागरिक विशेषकर युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। युवावर्ग राष्ट्र का भविष्य ही नहीं, बल्कि उसका वर्तमान भी है। यदि आज के युवा संविधान के मूल विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र की एकता व अखंडता के प्रहरी बनें, तो कोई भी बाहरी या भीतरी संकट देश की संप्रभुता को हानि नहीं पहुँचा सकता। युवाओं को चाहिए कि वे संविधान का गहन अध्ययन करें, उसके उद्देश्यों को समझें, उसकी मूल आत्मा को पहचानें और अपने विचारों व कार्यों में उसे प्रत्यक्ष रूप से उतारें। जब युवा नागरिक यह समझ जाते हैं कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि उनके जीवन का मार्गदर्शक है, तब वे प्रत्येक परिस्थिति में देश की अखंडता, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्य प्रणाली की रक्षा के लिए स्वतः तैयार हो जाते हैं।संविधान की प्रस्तावना में निहित सार्वभौमिकता के सिद्धांत को हम केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में न देखकर एक जीवंत सामाजिक कर्तव्य के रूप में अपनाएँ। जब राष्ट्र का प्रत्येक युवा यह संकल्प ले कि वह देश की एकता और संविधान की गरिमा की रक्षा करेगा, तभी भारत एक सशक्त, समरस और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर हो सकेगा।

भारतीय लोकतंत्र की नींव संविधान में रखी गई है, जो देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित ये सिद्धांत न केवल हमारे राष्ट्र के कानूनी ढांचे को निर्धारित करते हैं, बल्कि यह हमें एकजुट रहने और एक समान उद्देश्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा भी देते हैं। परंतु, जब यह देश अपनी सीमाओं में आंतरिक और बाह्य संकटों का सामना करता है, तब इस संविधान के उद्देश्यों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। देश की सीमाओं के जरिए घुसपैठ करने वाले अतिक्रमणकारी, चाहे वे बाहरी ताकतें हों या आंतरिक विद्रोही शक्तियाँ, वे हमेशा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हैं। जब कोई बाहरी शक्ति देश की सीमाओं में घुसने की कोशिश करती है, तो वह न केवल भूमि पर कब्ज़ा करने की कोशिश करती है, बल्कि वह हमारे राष्ट्रीय सामूहिकता को तोड़ने का भी प्रयास करती है। इस प्रकार की स्थिति कभी भी देश के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर सकती है और यह हमारी आंतरिक व्यवस्था को कमजोर कर सकती है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ABVP) ने सबसे पहले इस खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया और देश को इसके बारे में सचेत किया। 1980 और 1990 के दशकों में, जब कई देशों में सीमाओं के भीतर अतिक्रमण के प्रयास हो रहे थे, तब ।BVP ने युवा पीढ़ी को यह समझाने की कोशिश की कि हम सभी के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी एकता और अखंडता की रक्षा करें। ऐसे समय में जब हमारे देश की सीमाओं के भीतर और बाहर कई शक्तियाँ हमारी राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे रही थीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने कई ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। 'असम बचाओ, देश बचाओश (2 अक्टूबर 1983) और 'चलो चिकन नेक' (17 दिसंबर 2008) जैसे आंदोलनों में छात्र और युवा वर्ग ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन आंदोलनों ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के उद्देश्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी केवल सरकारी संस्थाओं पर नहीं है, बल्कि यह हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है, खासकर युवाओं की।

आज के समय में, जब दुनिया भर में कई राष्ट्र अपनी एकता और अखंडता को खोते जा रहे हैं, भारत में संविधान में निहित राष्ट्र पुनर्निर्माण का सपना अधिक प्रासंगिक हो गया है। युवाओं को यह समझना चाहिए कि हमारा संविधान हमें केवल कानूनी अधिकार नहीं देता, बल्कि यह हमें एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए दिशा भी देता है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं का यह कर्तव्य है कि वे संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएँ. आज के युवा राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुके हैं। यदि युवा पीढ़ी संविधान की मूल भावना को समझती है और इसे अपने जीवन में आत्मसात करती है, तो यह राष्ट्र के लिए एक मजबूत और स्थिर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। किसी भी संकट से उबरने के लिए देश को एकजुट रहने की जरूरत है और इस एकता को बनाए रखने में युवाओं की भूमिका अपरिहार्य है। हमारे संविधान में राष्ट्र के पुनर्निर्माण का जो स्वप्न है, वह आज के समय में एक वास्तविकता बन सकता है, अगर हम इसे अपने कार्यों और विचारों में साकार करें। युवाओं की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से देश को एक नई दिशा मिल सकती है, और यही वह ताकत है जो देश की अखंडता और एकता को बनाए रखेगी।

प्रजातांत्रिक मूल्यों पर जब आक्रमण हुआ, जब संविधान और उसके उद्देश्यों को ही शासन व्यवस्था ने विकृत कर देश में अराजकता की स्थिति पैदा की — तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के मार्गदर्शन में देशव्यापी संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के अंतर्गत परिषद् के 4500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आपातकाल का विरोध करते हुए सत्याग्रह किया और जेल गए — यह अब इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है।

"संविधान केवल वकीलों की फाइल नहीं है, बल्कि यह जीवन की प्रेरक शक्ति है। यह समाज की जीवंतता की प्रेरणा है।" — संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के ये शब्द आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं।

"पहले और बाद में भी मैं भारतीय हूँ" — यह डॉ. अंबेडकर का राष्ट्र सर्वोपरि का भाव आज के युवाओं के लिए एक गीत बन जाना चाहिए, जिसे वे पूरे देश में फैलाएँ। चाहे समय कितना ही संकटग्रस्त, जटिल या संक्रमणकालीन क्यों न हो कृ संविधान एक जीवंत दर्शन की तरह हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है।

संविधान के उद्देश्यों को ठेस न पहुँचे, इसके लिए संविधान की अंतर्दृष्टियों, उसकी प्रेरणाओं को राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रचारित करने के संकल्प में युवा शक्ति को अडिग रहना होगा। आज जब हम संविधान के लागू होने के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस संकल्प को निभाना ही हमारा कर्तव्य और सद्भावना है।

यह अमृतकाल संविधान के विचारों को जन–जन तक पहुँचाने का पर्व है कृ और इसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ

1. "Desh Bhakti Aur Chhatra Andolan" लेखक: सुनील अंबेकर प्रकाशक: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार
2. "ABVP: A Movement with a Mission" लेखक: सुनील अंबेकर प्रकाशक: Rupa Publications
3. "Sangh and Student Movement" लेखक: सतीश पेडणेकर प्रकाशक: सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज
4- "Chhatra Andolan ki Digdarshika: ABVP" संपादक: विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रकाशक: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (संगठन द्वारा प्रकाशित)
5. "Rashtriya Chhatra Andolan: Ek Sanskritik Yatra" लेखक: रमेश पाटणकर प्रकाशक: भारत प्रकाशन
6. "Emergency: The Dark Phase of Indian Democracy" लेखक: कुलदीप नैयर
7. "Bharat Ki Chhatra Shakti Aur Rashtra Nirman" लेखक: डॉ. शशांक कुलकर्णी प्रकाशक: समवेत प्रकाशन